



**समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, भोपाल**

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/13-14

श्रीमती शाहबानो अली

पत्नी श्री नासिर अली आयु वयस्क

कृषक व निवासी- ग्राम अम्बाडी

तहसील व जिला रायसेन म.प्र.

वर्तमान निवासी- 9 ईदगाहहिल्स

भोपाल म0प्र0

-----

आवेदिका

विरुद्ध

1. श्रीमती तीरथ बाई आ/पति श्रीराम आयु वयस्क

2. श्रीमती इमरती बाई आ./पति श्रीराम आयु वयस्क

निवासीगण- ग्राम अम्बाडी तहसील व जिला

रायसेन-म.प्र.

-----

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध सीमाकन दिनांक 27.06.2014, जो राजस्व निरीक्षक, दीवानगंज मंडल तहसील व जिला रायसेन द्वारा संपन्न किया गया अंतर्गत प्रकरण क्रं. निरक पक्षकारगण श्रीमती तीरथ बाई एवं श्रीमती इमरती बाई विरुद्ध सर्वसाधारण।

आवेदिका की ओर से निम्नानुसार निवेदन है:-

यह कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम अम्बाडी तहसील व जिला रायसेन की भूमि खसरा नंबर 51, 73 रकबा क्रमशः 0.490 हेक्टेयर, 3.573 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 50, 53, 55, 86, 94, 96, 98, 130 रकबा 0.328 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सीमाकन हेतु आवेदन राजस्व निरीक्षक दीवानगंज मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर दिनांक 25.06.14 को सीमाकन संपन्न कराये जाने संबंधी सूचना पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल दीवानगंज द्वारा जारी किये

हस्ताक्षर

निरन्तर.....2

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

आयुक्त, आंध्र प्रदेश

24-7-2014

आवेदन के दिवस अभिभावक द्वारा आवश्यकता पर प्रस्तुत  
 तारीख पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होने से यह  
 विद्यार्थी सीमाकृत विद्यालय में प्रवेश पर विचार प्रस्तुत की गई  
 है। परंतु सीमाकृत विद्यालय में प्रवेश नहीं की गई है। उस  
 विद्यार्थी को प्रवेश नहीं है। के आदेश पर निरीक्षण द्वारा बिना कोई  
 प्रमाण दर्ज किए सीमाकृत विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए अन्य  
 विद्यार्थी को प्रवेश नहीं है। विद्यालय में प्रवेश नहीं है।  
 यद्यपि यह विद्यार्थी प्रवेश नहीं की हुआ  
 है। यह भी विद्यार्थी प्रवेश नहीं है। प्रवेश नहीं है।  
 इस विद्यार्थी को प्रवेश नहीं है। इसीलिए  
 विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए  
 विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए  
 विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए  
 विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए  
 विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए  
 विद्यालय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए

*(Handwritten signature and date)*  
 25/7/14

(*Handwritten signature*)  
 (स्वीदीप सिंह)  
 अध्यक्ष